UPMB010004162017

निर्णय

फार्म– ए

न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/एफ०टी०सी०(सी०ए०डब्लू०) , महोबा।

उपस्थितिः तेन्द्र पाल (उच्चतर न्यायिक सेवा)
J O code UP- 1719
विशेष वाद संख्या-01/2017
CNR NO-UPMB010004162017
निर्णय की तिथि- 03.04.2026

उत्तर प्रदेश सरकार .... अभियोजक

बनाम

राकेश उर्फ कोमल पुत्र रामसेवक कुशवाहा निवासी इन्दरगढ़ थाना इन्दरगढ़ जिला दतिया म०प्र०।
--------------- अभियुक्त

मु०अ०सं० 339/2014
धारा–4/5 विस्फोटक पदार्थ अधिनियम
थाना– कोतवाली नगर महोबा, जिला महोबा

एवं

UPMB010004152017
सत्र परीक्षण संख्या–10/2017

उत्तर प्रदेश सरकार .... अभियोजक

बनाम

राकेश उर्फ कोमल पुत्र रामसेवक कुशवाहा निवासी इन्दरगढ़ थाना इन्दरगढ़ जिला दतिया म०प्र०
.... अभियुक्त
मु०अ०सं० 340/2014
धारा– 25 आयुध अधिनियम
थाना–कोतवाली नगर महोबा जिला महोबा।

परिवादी/शिकायतकर्ता	उत्तर प्रदेश राज्य
द्वारा	श्री सुरेन्द्र प्रताप सिंह राजपूत, सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता
अभियुक्त	राकेश उर्फ कोमल
द्वारा अधिवक्ता	श्री रमेश प्रजापति

फार्म– बी

अपराध की तिथि	दिनांक–20–02–2014

प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज होने की तिथि	दिनांक–20–02–2014
आरोप–पत्र प्रेषित किये जाने की तिथि	दिनांक– 30–06–2014
आरोप विरचित किये जाने की तिथि	दिनांक– 19–06–2017
साक्ष्य प्रारम्भ होने की तिथि	दिनांक– 08–03–2018
निर्णय सुरक्षित करने की तिथि	दिनांक– 27–03–2026
निर्णय का दिनांक	दिनांक–03–04–2026

अभियुक्त का विवरण

अभियुक्त का क्रम	अभियुक्त का नाम	गिरफतारी की तिथि	जमानत पर छूटने की तिथि	अपराध के आरोप	बरी या सजा	की गयी सजा	धारा–428 Cr.p.c. के उद्देश्य से अभियुक्त के हिरासत में निरुद्धि की अवधि
01	राकेश उर्फ कोमल			धारा 4/5 विस्फोटक पदार्थ अधिनियम भा०दं०सं० व धारा-25 आयुध अधिनियम	बरी		

फार्म सी

अभियोजन/प्रतिरक्षा/न्यायालय साक्षीगण की सूची–

ए. अभियोजन–

क्रम सं०	नाम	साक्ष्य की प्रकृति (चक्षुदर्शी साक्षी, पुलिस साक्षी, विशेषज्ञ साक्षी, चिकित्सकीय साक्षी, पंच साक्षी, अन्य साक्षी)
पी.डब्लू–1	ज्ञान देवी	साक्षी
पी.डब्लू–2	धर्मराज	धर्मराज यादव सी०ओ०
पी.डब्लू–3	मुमताज अहमद	हेड कान्सटेबल
पी.डब्लू–4	एम०ए०खान	सेवानिवृत्त उप निरीक्षक
पी.डब्लू–5	मनोज कुमार	मुख्य आरक्षी

बी० प्रतिरक्षा साक्षी–

कोई नहीं

सी– न्यायालय साक्षी, यदि कोई हो,

कोई नहीं

अभियोजन/प्रतिरक्षा/न्यायालय प्रदर्शों की सूची–

ए. अभियोजन

क्रम संख्या	प्रदर्श संख्या	विवरण/उल्लेख
1.	प्रदर्श क–1/पी.डव्लू. 2	फर्द बरामदगी
2–	प्रदर्श क–2/ पी.डव्लू.4	आरोप पत्र धारा 25 आयुध अधिनियम
3–	प्रदर्श क–3/ पी.डब्लू.4	नक्शा नजरी विस्फोटक पदार्थ अधिनियम
4–	प्रदर्श क–4/पी.डब्लू.4	नक्शा नजरी आयुध अधिनियम
5–	प्रदर्श क–5/पी.डब्लू.4	बम निष्क्रीय रिपोर्ट
6–	प्रदर्श क–6/पी.डब्लू.4	विधि विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट
7–	प्रदर्श क–7/पी.डब्लू.4	अभियोजन स्वीकृति बावत विस्फोटक पदार्थ अधिनियम
8–	प्रदर्श क–8/पी.डब्लू.4	अभियोजन स्वीकृति बावत आयुध अधिनियम
9–	प्रदर्श क–9/पी.डब्लू.4	आरोप पत्र बावत विस्फोटक पदार्थ अधिनियम
10–	प्रदर्श क-10/पी.डब्लू.5	प्रथम सूचना रिपोर्ट
11–	प्रदर्श क-11/पी.डब्लू.5	कायमी जी०डी०

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/एफ०टी०सी० (सी०ए०डब्लू०)महोबा

निर्णय

1. प्रस्तुत प्रकरण में अभियुक्त राकेश उर्फ कोमल का विचारण थाना कोतवाली महोबा की पुलिस द्वारा मु0 अ०सं0 339/2014, अन्तर्गत धारा–4/5 विस्फोटक पदार्थ अधिनियम तथा मु०अ०सं० 10/340 अन्तर्गत धारा 25 आयुध अधिनियम के अपराध में प्रेषित अलग–अलग आरोप पत्र पर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा प्रसंज्ञान लेने व धारा 207 दं०प्र०सं के अन्तर्गत नकलें प्रदान करने के उपरान्त सत्र सुपुर्द किये जाने पर इस न्यायालय द्वारा किया गया।

2. उपरोक्त विशेष वाद एवं सत्र परीक्षण संख्या एक ही अभियुक्त से सम्बन्धित होने के कारण न्यायालय के आदेश दिनांक 01.05.2014 को उपरोक्त वादों को समेकित किया गया और विशेष वाद की पत्रावली को अग्रणी वाद बनाया गया।

3. संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि वादी मुकदमा धर्मजीत यादव प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली महोबा ने दिनांक 20.02.2014 को थाना महोबा में इस आशय की फर्द बरामदगी दाखिल की कि दिनांक 20.02.2014 को वह व हमराह संगीता सिंह एस०ओ० महिला थाना तथा कान्सटेबल बृजेन्द्र यादव, कान्सटेबल मुमताज अहमद के थाना कोतवाली रपट नम्बर 21 समय 10.20 बजे रवाना होकर मु०अ०सं० 338/14 धारा 364 भा०दं०सं० में मसरूफ था कि सूत्रों द्वारा सूचना मिली कि राकेश जिसका अपहरण होना बताया जा रहा है और उसकी पत्नी ने अपहरण का अपराध भी पंजीकृत कराया है उसका नाम राकेश उर्फ कोमल है। वह शातिर किस्म का अपराधी है। यह अपहरण् का मुकदमा किसी कानूनी कार्यवाही से बचने के लिए पेशबन्दी में लिखाया गया है। राकेश उर्फ कोमल को अक्सर असलहा लिये देखा गया है तथा उसके पास अपराधी किस्म के व्यक्ति भी आते–जाते थे। उसका किराये का कमरा दिनांक 18.02.2014 से बन्द है यदि शीघ्रता कर उसके कमरे की तलाशी ली जाये तो अपहरण के मुकदमे से सम्बन्धित कोई महत्वपूर्ण तथ्य व नाजायज असलहा भी बरामद हो सकता है। इस सूचना पर मय एस०एच०ओ० मय हमराहीयान के वउम्मीद बरामदगी असलहा व मुकदमे से सम्बन्धित महत्वपूर्ण तथ्य राकेश उर्फ कोमल कुशवाहा के प्राइवेट बस अड्डा गाँधी नगर स्थित किराये के कमरे की तलाशी हेतु रवाना हुआ। रास्ते से गवाह लेने का प्रयास किया गया तो कोई भी व्यक्ति तैयार नहीं हुआ कि राकेश उर्फ कोमल कुशवाहा के उपरोक्त पते पर समय करीब 11.00 बजे पहुँचा वहॉ पर मकान की मालकिन श्रीमती ज्ञान देवी पत्नी देवकी नन्दन मिली उन्होंने बताया कि ऊपर वाले कमरे में राकेश उर्फ कोमल किराये पर रहता है जिसमें ताला बन्द है। समक्ष मकान मालकिन राकेश के कमरे का ताला खुलवाकर वजाप्ता खाना तलाशी ली गयी तो उसके कमरे के गेट के सामने कोने में रखे हुये बक्से के पीछे पेप्सी की बोतल में कत्थई कलर की रैक्सीन की खोल में रखी हुयी 32 बोर की एक देशी पिस्टल व

सात कारतूस बरामद हुये। बक्से के पीछे ही एक पालीथिन में दो अदद देशी बम्ब जिसे ऊपर रबर चढ़ी हुयी है तथा एक पोलीथिन में लगभग 100 ग्राम बारूद एक बम्ब की सुतली व एक बम्ब की टोपी बरामद हुयी तथा वहीं पर एक माचिस में रखी हुयी मोबाइल के 24 सिम भी बरामद हुये। तलाशी के दौरान ही राकेश का नाम राकेश उर्फ कोमल पुत्र रामसेवक पता कस्बा व थाना इन्दरगढ़ जनपद दतिया म०प्र० मालूम हुआ। राकेश उर्फ कोमल के कमरे में उपरोक्त् सामान होना (बरामद) अन्तर्गत धारा 25 आर्म्स एक्ट तथा 4/5 विस्फोटक पदार्थ अधिनियम का अपराध है। अतः बरामद उपरोक्त सभी सामान कब्जा पुलिस में लेकर सर्वप्रथम बरामद दोनो बम्ब को एक बाल्टी में पानी डालकर रखा गया तथा एक अदद पिस्टल जिसकी हुलिया 32 बोर लोहे की लम्बाई 8 अंगुल लोहे की बट 4 अंगुल लोहे की जिसके ऊपर फाइवर लगा है। ट्रेगर हैमर चालू हालत में मैगजीन लगी हुयी, कत्थई कलर की रैक्सीन की खोल में सात अदद कारतूस 32 बोर जिसमं 5 कारतूस में तॉबे की लीड लगी है। एक अदद बम्ब की टोपी व सुतली को भी एक कपड़े में रखकर सर्वमुहर कर नमूना मुहर बनाया गया। बरामद सिम उसी माचिस में रखकर कपड़े में रखकर सर्वमुहर कर नमूना मुहर बनाया गया। 100 ग्राम बारूद पोलीथिन में रखकर कपड़े में रखकर सर्वमुहर बनाया गया। पिस्टल कारतूस व खोल सहित सफेद पालीथिन में रखकर कपड़े में रखकर सर्वमुहर कर नमूना मुहर बनाया गया। फर्द मौके पर समक्ष गवाहान बोलकर एस०ओ० महिला थाना संगीता सिंह से लिखवाया गया। फर्द को पढ़कर सुनाकर गवाही मकान मालकिन व हमराहीयान बनवायी जा रही है। फर्द बरामदगी में माननीय उच्च न्यायालय व मानवाधिकार के निर्देशों का पालन किया गया। खाना तलाशी के समय सभी कर्मी वर्दी में थे तथा स्पष्ट नाम पट्टिका लगाये हुये थे। फर्द की एक प्रति राकेश उर्फ कोमल के दरवाजे पर चस्पा की गयी।

4. फर्द बरामदगी के आधार पर थाना महोबा में उक्त प्रकरण की प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांक 20.02.2014 को मु०अ०सं० 339/2014 धारा–4/5 विस्फोटक पदार्थ अधिनियम व मु०अ०सं० 340/2014 धारा 25 आयुध अधिनियम के अन्तर्गत अभियुक्त राकेश उर्फ कोमल के विरूद्ध दर्ज की गयी। विवेचक द्वारा प्रकरण की विवेचना की गई। विवेचक ने आवश्यक अभिलेखों का इन्द्राज अपनी केस डायरी में किया तथा वादी मुकदमा व अन्य गवाहान के बयान अंकित किये तथा घटनास्थल का निरीक्षण करके नक्शानजरी तैयार किया। विवेचनाधिकारी ने विवेचना उपरान्त पर्याप्त साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त राकेश उर्फ कोमल के विरूद्ध अलग–अलग आरोप पत्र अन्तर्गत धारा व धारा–4/5 विस्फोटक पदार्थ अधिनियम तथा 25 आयुध अधिनियम में अवर न्यायालय में प्रेषित किये गये।

5. अभियुक्त राकेश उर्फ कोमल के विरूद्ध धारा–4/5 विस्फोटक पदार्थ अधिनयम व धारा 25 आयुध अधिनियम के अंतर्गत आरोप विरचित किये गये जिनसे अभियुक्त ने इन्कार

किया तथा परीक्षण की याचना की।

6. अभियोजन पक्ष द्वारा अपने केस के समर्थन में कुल 5 साक्षियों का परीक्षित किया गया।

7. अभियोजन साक्ष्य समाप्त कर बयान अभियुक्त का बयान अन्तर्गत धारा –313 दं0 प्र 0 सं0 अंकित किया गया, जिसमें अभियुक्त ने घटना से इंकार करते हुए अभियोजन साक्षीगण के बयान को गलत बताया तथा मुकदमा किसी अन्दरूनी दुश्मनी के चलना बताया है तथा यह भी कथन किया है कि कथित घटना के समय वह जेल में था। वह कभी महोबा में नहीं रहा है। उससे कोई बरामदगी भी नहीं हुयी है तथा सफाई साक्ष्य देने से का कथन किया है। अभियुक्त की ओर से अभिलेखीय साक्ष्य में सूची 55 ख से कागज संख्या 56 ख लगायत 62 ख कागजात दाखिल किये गये हैं।

8. मैंने विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) व अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता की बहस विस्तारपूर्वक सुनी गयी तथा पत्रावली पर उपलब्ध समस्त मौखिक एवं अभिलेखीय साक्ष्य का गहनतापूर्वक परिशीलन किया गया।

9. अभियोजन की ओर से पी0 डब्लू0 1 के रूप में ज्ञानदेवी को परीक्षित कराया गया है, जिसने अपनी मुख्य परीक्षा में शपथपूर्वक कथन किया है कि घटना 20.02.2014 समय दिन 11 बजे की है। उस दिन वह घर पर थी। उसी समय दरोगा जी व महिला दरोगा व दो कान्सटेबल उसके यहॉ आये। दरोगा जी ने उससे पूँछा कि आपके यहाँ राकेश उर्फ कोमल पुत्र रामसेवक निवासी इन्दरगढ़ जिला दतिया उसके यहॉ किराये से रहता है। फिर वह पुलिस को लेकर अपने मकान के ऊपर वाले कमरे में गयी जहॉ वो रहता था। फिर दरोगा जी ने तलाशी लेने के लिए कहा था। कमरे में ताला लगा था। कमरे का ताला दरोगाजी ने तोड़ा था। ताला तोड़कर कमरे की तलाशी ली। बक्शा के पीछे एक रेग्जीन के थैले में पेप्सी की दो लीटर वाली बोतल रखी थी जिसका मुँह कटा था। उसमें एक तमंचा देशी व 07 कारतूस थे, एक माचिस थी जिसके अन्दर 24 सिम रखी थी और एक पालीथिन में दो देशी बम थे और 100/150 ग्राम बारूद एक अलग से पोलीथिन रखी थी और एक दूसरी पोलीथिन में बत्ती रखी थी। उस पौलीथीन में बम बनाने का पूरा सामान था। इसके बाद सभी सामान को पुलिस वालों ने बाहर निकाला। छत पर और कट्टा को एक कारतूस लगाकर चलाया था और वह चला था। एक बाल्टी पानी मँगाया और बमों को बाल्टी में डाल दिया था। वहीं पर समस्त सामान को सील मोहर किया और फर्द तैयार की थी। फर्द पर हम लोगों के हस्ताक्षर बनवाये थे और फर्द की एक कापी दरवाजे पर चिपकायी थी। फर्द को पढ़कर सुनाया था। पत्रावली दाखिल कागज संख्या 8 क/1 लगायत 8 क/2 फर्द बरामदगी एक अदद देशी पिस्टल 32 बोर, 07 अदद कारतूस, 02 देशी बम, सफेद पाउडर एक टोपी (बम), एक सुतली (बम)व एक माचिस में 24 मोबाइल सिम पर बने अपने हस्ताक्षर की पुष्टि की। फर्द को पुरूष दरोगा जी ने लिखा था।

इसके बाद सामान लेकर थाने चले गये थे। दरोगा जी ने उसका बयान 21.02.2014 को लिया था।

10. अभियोजन की ओर से पी0 डब्लू0 2 के रूप में सी०ओ० धर्मराज यादव को परीक्षित कराया गया है, जिसने अपनी मुख्य परीक्षा में शपथपूर्वक कथन किया है कि वह दिनांक 20.02.2014 को कोतवाली प्रभारी के पद पर तैनात था। उसी दिन रपट नं० 21 समय 10.20 बजे थाने से रवाना होकर मु०अ०सं० 338/14, धारा 364 भा०दं०सं० में मामूर था। उसके साथ हमराह एस०आई० संगीता सिंह, कान्सटेबल बृजेन्द्र यादव, कां० मुमताज अहमद भी थे। उसे सूत्रों के द्वारा सूचना मिली कि राकेश सिंह जिसका अपहरण होना बताया जा रहा है। उसकी पत्नी ने अपहरण का मुकदमा भी पंजीकृत कराया है। उसका नाम राकेश उर्फ कोमल है। वह एक शातिर अपराधी है। वह किसी मुकदमे से बचने के लिए यह मुकदमा लिखाया गया है। वह अक्सर अवैध असलहा लिये हुये देखा गया और उसके पास आपराधिक किस्म के व्यक्तियों का आना–जाना है। वह जो कमरा किराये पर लिये हुये है, वह दिनांक 18.02.2014 से बन्द है, अगर उस कमरे की शीध्रता से तलाशी ली जायेगी तो अपहरण से सम्बन्धित नाजायज असलहा व महत्वपूर्ण तथ्य उसके कमरे से बरामद किये जा सकते हैं। वे लोग प्राइवेट बस स्टैण्ड गांधीनगर, महोबा में जो राकेश कमरा किराये पर लिये हुये था। उसकी तलाशी हेतु रवाना हुये। रास्ता में मिले हुये व्यक्तियों से गवाही के लिए कहा गया तो कोई व्यक्ति गवाह के लिये तैयार नहीं हुआ तो वे लोग प्राइवेट बस स्टैण्ड के पास पहुँचे जहॉ वह कमरा किराये पर लिये हुये था, समय करीब 11 बजे वहाँ पहुंचे तो वहॉ पर मकान मालकिन ज्ञान देवी पत्नी देवकीनन्दन मिली। उससे राकेश उर्फ कोमल के बारे में पूँछा गया तो उसने बताया राकेश उर्फ कोमल दो दिन से कमरे का ताला बंद करके कहीं चला गया है। मकान मालकिन से कमरे का ताला खुलवाने के लिए कहा गया और उसके कमरे की तलाशी ली गयी तो उसके कमरे के गेट के कोने में रखे हुये बक्से के पीछे से पेप्सी की बोतल में कत्थई कलर की रैक्सीन के खोल में रखी हुयी एक अदद देशी पिस्टल 32 बोर व 07 कारतूस बरामद हुये तथा बक्से के पीछे ही एक पोलीथीन में दो अदद देशी बम जिसके ऊपर रबर चढ़ा हुआ है तथा एक पोलीथीन में लगभग 100 ग्राम बारूद, बम्ब की सुतली, एक बम्ब की टोपी बरामद हुये तथा वहीं पर एक माचिस में रखी हुयी मोबाइल के 24 सिम बरामद हुये। तलाशी के दौरान राकेश का नाम कोमल पुत्र रामसेवक निवासी कस्बा व थाना इन्दरगढ़ जनपद दतिया मालूम हुआ। राकेश उर्फ कोमल के कमरे में उक्त सामान का बरामद होना अन्तर्गत धारा 25 आयुध अधिनियम तथा धारा 4/5 विस्फोटक पदार्थ अधिनियम का अपराध है। सभी सामान कब्जे में लेकर दो बरामद बम्ब एक बाल्टी पानी में डालकर रखा गया और पिस्टल को (एक अदद) हुलिया 32 बोर व 07 जिन्दा कारतूस जिसमें 05 कारतूस में तांबे की लीड लगी हुयी थी। 01 अदद बम्ब की टोपी

और सुतली को एक कपड़े में रखककर सील मुहर नमूना बनाया गया। बरामद सिम उसी माचिस में रखकर सर्वमुहर नमूना बनाया गया। 100 ग्राम बारूद पोलीथीन में रखकर सर्वमुहर नमूना बनाया गया। फर्द मौके पर उसके द्वारा बोल–बोलकर महिला एस०आई० संगीता सिंह के द्वारा लिखायी गयी। ये सभी कार्यवाही करते समय मानवाधिकार व सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों/निर्देशों का पालन किय गया। फर्द पर मकान मालकिन ज्ञानदेवी सभी पुलिस कर्माचारियों के हस्ताक्षर बनवाये। फर्द पर बने हस्ताक्षर उसके हैं जिसकी वह पुष्टि करता है। न्यायालय में दफा 25 की मु०अ०सं० 340/14 का माल न्यायालय की अनुमति से खोला गया तो इसमें से पिस्टल 32 बोर निकला तो गवाह ने कहा कि यह वही पिस्टल है जो अभियुक्त के कमरे से बरामद हुआ था जिसमें वस्तु प्रदर्श–1 डाला गया। न्यायालय में महोबा पैरोकार द्वारा जो माल पेश किया गया उसमें से एक अदद पिस्टल 32 बोर निकला और कोई भी कारतूस नहीं निकला। विवेचक ने उसके बयान लिये थे।

11. अभियोजन की ओर से पी0 डब्लू0 3 के रूप में हेड कान्सटेबल मुमताज अहमद को परीक्षित कराया गया है, जिसने अपनी मुख्य परीक्षा में शपथपूर्वक कथन किया है कि वह दिनांक 20.02.2014 को कोतवाली महोबा में आरक्षी के पद पर तैनात था। उसी दिन रपट नं० 21 समय 10.20 बजे, मु०अ०सं० 338/14, धारा 364 भा०दं०सं० में प्रभारी निरीक्षक धर्मराज यादव के साथ में रवाना हुआ था। वे लोग इन्सपेक्टर (प्रभारी निरीक्षक) के साथ तलाश में निकले थे तभी सूत्रों के द्वारा निरीक्षक साहब को सूचना मिली कि राकेश सिंह जिसका अपहरण होना बताया जा रहा था, उसकी पत्नी ने अपहरण का मुकदमा पंजीकृत कराया है, उसका नाम राकेश उर्फ कोमल है। वह एक शातिर अपराधी है, व किसी मुकदमे से बचने के लिए यह मुकदमा लिखाया गया है। वह अक्सर अवैध असलहा लिये हुये देखा गया है और उसके पास आपराधिक किस्म के व्यक्तियों का आना–जाना है। वह जो कमरा किराये से लिये हुये है, वह दिनांक 18.02.2024 से बन्द है। अगर उस कमरे की शीघ्रता से तलाशी ली जायेगी तो अपहरण से सम्बन्धित नाजायज असलहा व महत्वपूर्ण तथ्य उसके कमरे से बरामद किये जा सकते हैं। वे लोग प्राइवेट बस स्टैण्ड गांधीनगर महोबा में जो राकेश कमरा किराये पर लिये हुये था, उसकी तलाशी हेतु रवाना हुये। रास्ते में मिले हुये व्यक्तियों से इंस्पेक्टर साहब ने गवाही के लिए कहा था तो कोई तैयार नहीं हुआ था। फिर वे लोग प्राइवेट बस स्टैण्ड के पास पहुंचे जहां वह कमरा किराये पर लिये हुये था। समय करीब 11 बजे वहॉ पहुंचे तो वहां पर मकान मालकिन ज्ञानदेवी पत्नी देवकीनन्दन मिली। उससे राकेश उर्फ कोमल के बारे में पूँछा गया तो उसने बताया कि राकेश उर्फ कोमल दो दिन से कमरे का ताला बन्द करके कहीं चला गया है। मकान मालकिन से कमरे का ताला खुलवाने के लिए कहा गया और उसके कमरे की तलाशी ली गयी। उसके कमरे के कोने में बक्से के पीछे कत्थई कलर की पेप्सी की बोतल में

रैक्सीन के खोल में रखी हुयी एक अदद देशी पिस्टल 32 बोर व 07 अदद कारतूस बरामद हुये तथा बक्से के पीछे ही एक पालीथीन में 02 अदद देशी बम्ब जिसके ऊपर रबर चढ़ा हुआ था तथा एक पालीथीन में लगभग 100 ग्राम बारूद, बम्ब की सुतली, एक बम्ब की टोपी बरामद हुये तथा वहीं पर एक माचिस में रखी हुयी 24 सिमें बरामद हुयी। तलाशी के दौरान ही राकेश का नाम राकेश उर्फ कोमल पुत्र रामसेवक निवासी कस्बा व थाना इन्दरगढ़ जनपद दतिया मालूम हुआ था। सभी सामान कब्जे में लेकर 02 बरामद बम्ब एक बाल्टी पानी में डालकर रखा गया और पिस्टल की हुलिया 32 बोर व 07 जिन्दा कारतूस जिसमें 05 कारतूस में तांबे की लीड लगी हुयी थी। एक अदद बम्ब की टोपी और सुतली को एक कपड़े में रखकर सील मुहर नमूना बनाया गया। 100 ग्राम बारूद पॉलीथीन में रखकर सवर्मुहर नमूना बनाया गया। फर्द मौके पर महिला एस०आई० संगीता सिंह द्वारा लिखी गयी, इन्सपेक्टर साहब के बोलने पर लिखी गयी थी। ये सभी कार्यवाही करते समय मानवाधिकार व सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों/निर्देशों का पालन किया गया था। फर्द उन लोगों को पढ़कर सुनायी गयी थी जिस पर उन लोगों ने हस्ताक्षर किये थे। फर्द में बने गवाह के हस्ताक्षर को देखकर गवाह ने कहा कि यह उसके हस्ताक्षर हैं जिसकी वह पुष्टि करता है। विवेचक ने उसके बयान लिये थे।

12. अभियोजन की ओर से पी0 डब्लू0 4 के रूप में सेवानिवृत्त उप निरीक्षक एम०ए०खान को परीक्षित कराया गया है, जिसने अपनी मुख्य परीक्षा में शपथपूर्वक कथन किया है कि वह दिनांक 20.02.2014 को थाना कोतवाली महोबा में उप निरीक्षक के पद पर तैनात था। इसी दिनांक को उसे मु०अ०सं० 339/14, 340/14 की विवेचना प्राप्त हुयी। इसी दिन दिनांक 20.02.2014 को पर्चा 1 किता किया जिसमें फर्द बरामदगी का अवलोकन किया। नकल कायमी, बयान एफ०आई०आर० लेखक, कां०मु० मनोज कुमार कुशवाहा बयान वादी एस०एच०ओ० धरमराज यादव के बयान अंकित किये थे व घटनास्थल का निरीक्षण किया। दिनांक 21.02.2014 को पर्चा नम्बर 2 किता किया जिसमें बृजेन्द्र यादव, कान्सटेबल मुमताज अहमद, महिला थानाध्यक्ष संगीता सिंह व श्रीमती ज्ञानदेवी के बयान अंकित किये। दिनांक 26.02.2014 को पर्चा नम्बर 3 किता किया जिसमें बरामद विस्फोटक को नष्ट करने के लिए पुलिस अधीक्षक महोबा को पत्र लिखा। दिनांक 06.03.2014 को पर्चा नम्बर 4 किता किया जिसमें पुलिस अधीक्षक, महोबा द्वारा जारी पत्र की कापी का अवलोकन किया। दिनांक 10.03.2014 को पर्चा नम्बर 5 किता किया जिसमें अभियुक्त को ग्वालियर पुलिस एस०टी०एफ० म०प्र० ने अन्य मुकदमे में गिरफ्तार किया। दिनांक 13.03.2014 को पर्चा नम्बर–6 किता किया जिसमें न्यायालय सी०जे०एम० महोबा से वी वारण्ट प्राप्त किया। दिनांक 14.03.2014 को पर्चा नम्बर 7 किता किया जिसमें बम निष्क्रिय का अवलोकन किया। दिनांक 15.03.2014 को पर्चा नम्बर 8 किता किया जिसमें वी वारण्ट सी०जे०एम० ग्वालियर

व केन्द्रीय कारागार ग्वालियर में दाखिल किया। दिनांक 18.03.2014 को पर्चा नम्बर 9 किता किया जिसमें निष्क्रिय टीम लखनऊ को पत्र जारी किया। 25.03.2014 को पर्चा नम्बर 10 किता किया जिसमें सी०जे०एम०महोबा से ग्वालियर से महोबा तलब करने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। दिनांक 26.03.2014 को पर्चा नम्बर 11 किता किया जिसमें सी०जे०एम० महोबा से वी वारण्ट प्राप्त किया। दिनांक 27.03.2014 को पर्चा नम्बर 12 किता किया जिसमें कान्सटेबल रामकृपाल को सर्वमुहर नमूना माल विधि विज्ञान प्रयोगशाला आगरा पहुँचाया गया। दिनांक 30.03.2014 को पर्चा नम्बर 13 किता किया जिसमें अभियुक्त वी वारण्ट सी०जे०एम० ग्वालियर व ग्वालियर जेल में दाखिल किया गया। दिनांक 01.04.2014 को पर्चा नम्बर 14 किता किया जिसमें ग्वालियर जेल से फैक्स बरामद हुआ था। 10.05.2014 को पर्चा नम्बर 15 किता किया जिसमें ग्वालियर जेल से पत्र प्राप्त हुआ कि अभियुक्त दतिया जेल में बन्द है। दिनांक 12.05.2014 को पर्चा नम्बर 16 किता किया जिसमें अभियुक्त को तलब करने की याचना की गयी। दिनांक 13.05.2014 पर्चा नम्बर 17 किता किया जिसमें अभियुक्त को तलब करने की कार्यवाही की गयी। दिनांक 16.05.2014 को पर्चा नम्बर 18 किता किया जिसमें अभियुक्त को न्यायालय में तलब करने का अनुरोध किया गया। दिनांक 19.05.2014 को पर्चा नम्बर 19 किता एस०आई० श्री रामकुमार सिंह द्वारा पर्चा काटा गया था जिसमें अभियुक्त न्यायालय सी०जे०एम० महोबा के यहां पेश किया गया जिसका रिमाण्ड उक्त् मुकदमे में लेने की कार्यवाही की गयी। दिनांक 30.05.2014 को पर्चा नम्बर 20 किता किया गया जिसमें अभियुक्त का बयान लेने हेतु न्यायालय से अनुरोध किया गया। दिनांक 31.05.2014 को पर्चा नम्बर 21 किता किया जिसमें अभियुक्त का14 दिन रिमाण्ड न्यायालय से लिया गया। इसी दिनांक को पर्चा नम्बर 21ए किता किया गया जिसमें न्यायालय से अभियुक्त का जेल में बयान लेने हेतु याचना की गयी। दिनांक 01.06.2014 को पर्चा नम्बर 22 किता किया जिसमें अभियुक्त राकेश का बयान दतिया कारागार म०प्र० में लिया गया। दिनांक 03.06.2019 को पर्चा नम्बर 23 किता किया जिसमें विधि विज्ञान प्रयोगशाला आगरा की रिपोर्ट का उल्लेख किया था। दिनांक 05.06.2014 को पर्चा नम्बर 24 किता किया जिसमें उक्त् मुकदमे से सम्बन्धित माल का अभियोजन लेने का अनुरोध किया। दिनांक 17.06.2014 को पर्चा नम्बर 25 किता किया जिसमें नकल आदेश अभियोजन स्वीकृति तथा उक्त मुकदमे में पर्याप्त साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त के विरूद्ध आरोप पत्र संख्या 122/14 व अपराध संख्या 340/14 धारा 25 आयुध अधिनियम में आरोप पत्र संख्या 123/14 किता कर न्यायालय प्रेषित किये गये। पत्रावली में कागज संख्या 3क आरोप पत्र जो मु०अ०सं० 340/14 संलग्न है जो उसके लेख व हस्ताक्षर में है, जिसकी वह पुष्टि करता है जिस पर प्रदर्श क–2 डाला गया। कागज संख्या 8क/1 मु०अ०सं० 339/14 का नक्शा नजरी व 8क/2

मु०अ०सं० 340/14 का नक्शा नजरी जो उसके लेख व हस्ताक्षर में है जिसमें प्रदर्श क–3 व प्रदर्श क–4 डाला गया। कागज संख्या 18क बम निष्क्रीय झांसी सलग्न है जिस पर प्रदर्श क–5 डाला गया। पत्रावली में कागज 25क विधि विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट संलग्न है जिसमें प्रदर्श क–6 डाला गया। कागज संख्या 26क/1 लगायत 26क/2 अभियोजन स्वीकृति जिला मजिस्ट्रेट वीरेश्वर सिंह के हस्ताक्षर में है। उसने इनको हस्ताक्षर बनाते देखा है जिसकी वह पुष्टि करता है, जिस पर प्रदर्श क–7 व क–8 डाला गया। कागज संख्या 3क मु०अ०सं० 339/14 का आरोप पत्र संलग्न है जो उसके लेख व हस्ताक्षर में है जिसकी वह पुष्टि करता है जिस पर प्रदर्श क–9 डाला गया।

13. अभियोजन की ओर से पी0 डब्लू0 5 के रूप में मुख्य आरक्षी मनोज कुमार को परीक्षित कराया गया है, जिसने अपनी मुख्य परीक्षा में शपथपूर्वक कथन किया है कि वह दिनांक 20.02.2014 को कां०मु० के पद पर कोतवाली महोबा में तैनात था। उसी दिन उसने एस०एच०ओ० धरमराज यादव की फर्द का अवलोकन कर मु०अ०सं० 339/14 धारा 4/5 विस्फोटक पदार्थ अधिनियम का मुकदमा पंजीकृत कर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी थी जो पत्रावली में कागज संख्या 4क/1 संलग्न है। इसमें बने हस्ताक्षर एस०एच०ओ० धरमराज यादव के हैं। वह इनके साथ तैनात रहा है इसलिए वह इनके हस्ताक्षर की पुष्टि करता है जिसमें प्रदर्श क–10 डाला गया। अभियुक्त राकेश उर्फ कोमल के विरूद्ध मु०अ०सं० 340/14 धारा 25 आयुध अधिनियम का मुकदमा भी उसी तारीख को उसी दिन चिक संख्या 60/14 समय 13.30 पी०एम० पर किया गया था जो पत्रावली में कागज संख्या 6क/1 लगायत 6क/2 संलग्न है जो उसके द्वारा प्रमाणित है जिसकी वह पुष्टि करता है, जिस पर प्रदर्श क–11 डाला गया। विवेचक ने उसके बयान लिये थे।

<u>निष्कर्ष</u>

14. पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य तथा उभयपक्ष की ओर से की गयी बहस के अनुक्रम में निम्नलिखित अवधार्य बिन्दु विरचित किये जाते है:–

1- क्या दिनांक 20.02.2014 को ज्ञान देवी(पी०डब्लू०-1) के मकान में स्थित कथित किराये के कमरे से देशी पिस्टल कारतूस, देशी बम बारूद एवं अन्य विस्फोटक पदार्थ की बरामदगी की गयी है?

2- क्या कथित कमरा, जिसमें बरामदगी दिखाई गयी है? वह अभियुक्त राकेश उर्फ कोमल के ही कब्जे में था, जिसमें वह सामान्यतः निवास करता था?

3- क्या कथित किराये के कमरे से देशी पिस्टल कारतूस, देशी बम बारूद एवं अन्य विस्फोटक पदार्थ की बरामदगी अभियुक्त राकेश उर्फ कोमल के सचेत कब्जे (Conscious Possession)से साबित की गयी है ?

निस्तारण अवधार्य बिन्दु सं0-1 व 2

15. अवधार्य बिन्दु सं0-1 इस आशय से विरचित किया गया है कि 1-क्या दिनांक 20.02.2014 को ज्ञान देवी (पी०डब्लू०-1)के मकान में स्थित कथित किराये के कमरे से देशी पिस्टल कारतूस, देशी बम बारूद एवं अन्य विस्फोटक पदार्थ की बरामदगी की गयी है? तथा अवधार्य बिन्दु सं0-2 इस आशय से विरचित किया गया है कि 2-क्या कथित कमरा, जिसमें बरामदगी दिखाई गयी है? वह अभियुक्त राकेश उर्फ कोमल के ही कब्जे में था , जिसमें वह सामान्यतः निवास करता था?

16. उपरोक्त दोनों अवधार्य बिन्दु पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य तथा उभयपक्ष की ओर से की गयी बहस तथा सुविधा को दृष्टिगत रखते हुये एक साथ निस्तारित किये जा रहे हैं।

17. बचाव पक्ष की ओर से यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि अभियुक्त को गलत फसाया गया है। अभियुक्त न तो कभी महोबा में रहा है और न ही उक्त मकान में कथित कमरें को कभी किराये पर लिया और न ही वह ज्ञान देवी (पी०डब्लू०-1) जो कि उक्त मकान की मालकिन है, को जानता है। और न ही उससे कभी मिला। अभियुक्त मध्य प्रदेश में ही रहता है। जिस समय की घटना बतायी गयी है वह उस समय जेल में था। जिस सम्बन्ध में उक्त मुकदमे में गिरफ्तारी व जेल में निरूद्धि के सम्बन्ध में दस्तावेजों की स त्यप्रतिलिपि भी प्रस्तुत की गयी है। वादी मुकदमा ने जिस मुकदमें में अभियुक्त के कथित अपहरण के सम्बन्ध में विवेचना करने की बात कही गयी है, उसके सम्बन्ध में कोई प्रपत्र न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया गया है। उक्त मुकदमें में अभियुक्त की पत्नी को वादिनी मुकदमा बताया गया है, उसका साक्ष्य विवेचना में नहीं लिया गया है और न ही न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है। इसके अतिरिक्त अभियुक्त को कभी भी पुलिस द्वारा कथित किराये के कमरे पर नहीं ले जाया गया और न ही मकान मालकिन ज्ञान देवी से पहचान करायी गयी तथा न ही अभियुक्त के सम्बन्ध में कोई भी दस्तावेज जो कि उसकी पहचान से सम्बन्धित हो, उक्त कमरें में बरामद किया गया है। बरामदगी साबित नहीं है। थाना कोतवाली में कथित घटना के समय अभियुक्त का एक रिश्तेदार नियुक्त था। उसी ने दुश्मनीवश अभियुक्त को फसाया है। अभियुक्त के विरूद्ध कोई भी बरामदगी साबित नहीं है। अतः उसे दोषमुक्त किया जाये।

18. अभियोजन की ओर से यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि अभियुक्त उक्त किराये के कमरें में रहता था, जिसको पी0 डब्लू0-1 ने साबित किया है तथा अभियुक्त एक शातिर अपराधी है और अन्य कई मुकदमें में वांछित था। उसकी पत्नी ने उन मुकदमों से बचने के लिये अभियुक्त के अपहरण का एक फर्जी मुकदमा कराया। उसी की विवेचना में यह तथ्य प्रकाश में आया कि अभियुक्त उक्त पी0 डब्लू0-1 के मकान में कमरे में किराये पर रहता है। उसी कमरे से 01 अदद देशी बम, 01 पिस्टल, 07 कारतूस, 24 मोबाइल सिम तथा अन्य आपत्तिजनक सामान बरामद

हुए। अभियोजन साक्षीगण ने अभियुक्त के विरूद्ध साक्ष्य दिया है, बरामदगी साबित है। ऐसी स्थिति में अभियुक्त को धारा -4/5 विस्फोटक पदार्थ अधिनियम तथा धारा-25 आयुध अधिनियम में दोषसिद्ध किया जाये।

19. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अभियोजन की ओर से कुल 05 साक्षीगण को परीक्षित कराया गया है, जिसमें पी0 डब्लू0-1 ज्ञान देवी, मकान मालकिन है, जिसके मकान में स्थित कथित किराये का कमरे में, अभियुक्त का परिवार सहित रहना बताया गया है, को परीक्षित कराया गया है तथा पी0 डब्लू0-2 धनराज यादव जो वादी मुकदमा है। पी0 डब्लू0-3 मुमताज अहमद बरामदगी का साक्षी है तथा पी0 डब्लू0-4 एम 0 ए 0 खान, जो कि इस मामले का विवेचक हैं, को परीक्षित कराया गया है। इसके अतिरिक्त पी0 डब्लू0-5 के रूप में कास्टेबिल मनोज कुमार, जिसने चिक एफ 0 आई 0 आर 0 तथा जी0 डी0 कायमी को साबित किया है।

20. यह उल्लेखनीय है कि वादी मुकदमा धर्मजीत यादव तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक, थाना कोतवाली महोबा, जो कि मुकदमा अपराध सं0-338/2014, धारा-364 भा0 दं0 सं0 के विवेचक बताये जाते हैं। उक्त प्रभारी निरीक्षक को दौरान विवेचना यह पता चलता है कि जिस व्यक्ति का अपहरण बताया गया है वह राकेश उर्फ कोमल है और उसकी पत्नी द्वारा कानूनी कार्यवाही से बचने के लिये पेशबन्दी में यह मुकदमा लिखाया गया है। उसी दौरान पता चलता है कि राकेश उर्फ कोमल अक्सर असलाह लिये देखा गया है, उसके पास आपराधिक किस्म के व्यक्ति भी आते रहते हैं और यह भी उन्हें लगता है कि यदि शीघ्रता से उसके कमरे की तलाशी ली जाये तो अपहरण के मुकदमें से सम्बन्धित कोई महत्वपूर्ण तथ्य व नाजायज असलाहा भी बरामद हो सकता है। तब उक्त प्रभारी निरीक्षक अन्य पुलिस कर्मचारीगण जिनमें एस 0 ओ 0 महिला थाना संगीता सिंह, कास्टेबिल मुमताज अहमद व अन्य पुलिस कर्मियों के साथ कथित कमरे पर जाते हैं और उस मकान की मकान मालकिन ज्ञान देवी से उक्त कमरे को खुलवाते हैं। ज्ञान देवी पी0 डब्लू0-1 के साक्ष्य में आया है कि पुलिस वालों ने उक्त कमरे का ताला तोड़ा तथा वादी मुकदमा पी0 डब्लू0-2 धर्मजीत यादव के बयान में आया है कि मकान मालकिन पी 0 डब्लू0-1 द्वारा कमरे का ताला खोला गया है। उक्त कमरा के खोलने पर कमरे के गेट के सामने कोने में रखे हुए बक्से के पीछे पेप्सी की एक बोतल में कत्थई कलर की रैक्सीन की खोल में रखी हुई 32 बोर की एक देशी पिस्टल व 07 कारतूस बरामद हुए। बक्से के ही पीछे एक पॉलीथीन में दो अदद देशी बम जिसके ऊपर रबड़ चड़ी हुई थी तथा एक पॉलीथीन में लगभग 100 ग्राम बारूद, एक बम की सुतली, एक बम की टोपी बरामद हुई तथा वही पर एक माचिस रखी हुई थी, जिसमें मोबाइल के 24 सिम भी बरामद हुए। तलाशी के दौरान ही राकेश उर्फ कोमल पुत्र रामसेवक का पता कस्बा व थाना इन्दरगढ़, जनपद दतिया म 0 प्र 0 मालूम हुआ। इसके पश्चात प्रभारी निरीक्षक धर्मजीत पी०डब्लू०-2 द्वारा समस्त सामान को कब्जे में लिया गया और

इसकी फर्द बनायी गयी। फर्द को एस 0 ओ 0 महिला थाना संगीता सिंह से लिखवाया गया तथा मकान मालकिन व अन्य पुलिस कर्मचारीगण द्वारा उसमें हस्ताक्षर किया गया। उक्त फर्द के आधार पर अभियुक्त राकेश उर्फ कोमल के विरूद्ध मुकदमा अपराध संख्या -339/2014 अन्तर्गत धारा-4/5 विस्फोटक पदार्थ अधिनियम, थाना कोतवाली महोबा, जिला महोबा तथा मुकदमा अपराध सं0-340/2014, अन्तर्गत धारा-25 आयुध अधिनियम थाना कोतवाली में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज किया गया।

21. यह उल्लेखनीय है कि वादी मुकदमा पी0 डब्लू0-2 धर्मराज यादव तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक कोतवाली महोबा के बयान में यह आया है कि न्यायालय में केवल पिस्टल 32 बोर (वस्तु प्रदर्श-1) प्रस्तुत की गयी, तथा उसके साथ कोई कारतूस प्रस्तुत नहीं किया गया है तथा न ही कथित 24 सिम न्यायालय में प्रस्तुत किये गये हैं। इसका कोई भी स्पष्टीकरण अभियोजन की ओर से प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस प्रकरण में यह भी उल्लेखनीय है कि अभियुक्त को कभी भी विवेचना के दौरान गिरफ्तार करके घटनास्थल पर नहीं ले जाया गया और न ही उसकी वादिनी मुकदमा या किसी अन्य साक्षी से पहचान करायी गयी। विवेचक द्वारा अभियुक्त को घटनास्थल पर जाकर मकान मालकिन के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया और न ही यह साबित कराया गया कि यही वही व्यक्ति है, जो पी0 डब्लू0-1 के मकान में रहता है। इसके अतिरिक्त उसका कोई भी पहचान पत्र या उससे सम्बन्धित कोई भी अन्य ऐसा दस्तावेज जिससे यह साबित होता हो कि उक्त मकान में किराये के कमरे में अभियुक्त रहता हो। अब अभियोजन की ओर से प्रस्तुत समस्त साक्षीगण के साक्ष्य से यह देखा जाना है कि क्या उक्त कमरें में किराये पर अभियुक्त रहता था और क्या उससे ही प्रश्नगत पिस्टल, कथित देशी बम, और मोबाइल की 24 सिम बरामद किये गये थे?

22. इस प्रकरण में अभियोजन की ओर से पी० डब्ल्यू०-1 के रूप में ज्ञानदेवी को परीक्षित कराया गया है। इस साक्षी ने अपने मुख्य परीक्षा में कहा है कि घटना दिनांक 20.02.2014 को समय लगभग 11:00 बजे की है। उस दिन वह अपने घर पर थी। उसी समय दरोगा जी, महिला दरोगा तथा दो कॉन्स्टेबल उसके यहाँ आए। दरोगा जी ने उससे पूछा कि क्या राकेश उर्फ कोमल उसके यहाँ किराये पर रहता है। इसके बाद वह पुलिस को अपने मकान के ऊपर वाले कमरे में लेकर गई, जहाँ वह रहता था। दरोगा जी ने कमरे की तलाशी लेने के लिए कहा। उस समय कमरे में ताला लगा हुआ था, जिसे दरोगा जी ने तोड़ दिया। ताला तोड़कर कमरे की तलाशी ली गई। तलाशी के दौरान बक्शे के पीछे एक रैग्जीन के थैले में पेप्सी की दो लीटर वाली बोतल, जिसका मुँह कटा हुआ था, पाई गई। उसमें एक देसी तमंचा, सात कारतूस तथा एक माचिस मिली, जिसके अंदर 24 सिम रखे थे। एक पॉलिथीन में दो देसी बम थे तथा लगभग 100-150 ग्राम बारूद अलग से एक पॉलीथीन में रखा हुआ था। दूसरी

पॉलिथीन में पन्नी रखी थी, जिसमें बम बनाने का पूरा सामान था। इसके पश्चात पुलिसकर्मियों ने उक्त सभी सामान को कमरे से बाहर छत पर निकाल लिया तथा कट्टे को चलाकर देखा, जो चलने योग्य पाया गया। इस साक्षी ने बरामदगी की पुष्टि की है।इस साक्षी ने अपनी प्रतिपरीक्षा में कहा है कि उसके मकान में नीचे तीन कमरे तथा ऊपर एक कमरा है, जो टीन की चद्दर से बना हुआ है। उस समय उसके मकान में दो किरायेदार रहते थे। मकान किराये पर देते समय उसने कोई किरायानामा नहीं लिखवाया था तथा मकान किराया लेने-देने की कोई रसीद या लिखत-पढ़त नहीं होती थी, बल्कि मकान मौखिक रूप से दिया गया था। उसने बताया कि उसने पहली बार किरायेदार रखा था, इससे पहले उसने कोई किरायेदार नहीं रखा था। साक्षी ने यह भी कहा कि दोनों किरायेदार अपने परिवार के साथ रहते थे। जब उसने दोनों किरायेदार रखे थे, तब उनके नाम-पते के संबंध में कोई पहचान-पत्र आदि नहीं लिए थे, बल्कि उनके मौखिक रूप से बताए गए नाम-पते पर विश्वास करके मकान दे दिया था।साक्षी ने यह भी कहा कि जिस माह में अभियुक्त कोमल पकड़ा गया, उससे लगभग छह माह पूर्व, माह की दो तारीख को उसने मकान किराये पर दिया था। अभियुक्त कोमल उसके सामने पकड़ा नहीं गया था। उसके पास अभियुक्त के संबंध में कोई पहचान-पत्र अथवा कागज़ात नहीं थे। उसे यह भी जानकारी नहीं है कि पुलिस को यह सूचना किसने दी कि कोमल उसके मकान में रहता है। साक्षी के अनुसार, जब पुलिस उसके घर आई थी, तब पुलिस ने ही उसे बताया था कि कोमल उसके घर में रहता है और वह एक बड़ा अपराधी है। साक्षी ने यह भी कहा कि जिस कमरे की तलाशी ली गई थी, उसका दरवाज़ा तोड़कर खोला गया था तथा तलाशी लेने से पहले पुलिसकर्मियों ने आपस में एक-दूसरे की तलाशी नहीं ली थी। कोमल के कमरे से जो सामान बरामद हुआ था, उसे उसने कोमल द्वारा कमरे में लाते हुए नहीं देखा था। पुलिस द्वारा तलाशी लेने की तिथि के बाद से उसने कोमल को नहीं देखा। उसका कोमल से कोई व्यक्तिगत परिचय नहीं था। कोमल के गाँव अथवा उसके अपराधी होने के संबंध में भी उसे जानकारी पुलिस द्वारा ही दी गई थी। पुलिस कभी भी कोमल का फोटो या पहचान-पत्र लेकर उसके घर नहीं आई थी। पुलिस ने कभी भी कोमल को उसके सामने लाकर यह नहीं पूछा कि क्या यही व्यक्ति उसके यहाँ किरायेदार के रूप में रहता था या नहीं। न ही उसके सामने पुलिस ने अभियुक्त कोमल के पास से कोई बरामदगी की थी। साक्षी ने यह भी कहा कि पुलिस ने जिस कमरे में बरामदगी की थी, वह उसके मकान में स्थित था। आगे उसने यह भी कहा कि कमरे से बरामद माल में अभियुक्त कोमल का कोई पर्चा-पत्र कमरे में रखा हुआ था, माल के साथ बैग में नहीं था; परंतु वह यह नहीं बता सकती कि पत्रावली पर कोई पहचान-पत्र है या नहीं। बरामद माल पुलिस पन्नी में भरकर ले गई थी तथा पुलिस ने उससे दो-तीन कागज़ों पर हस्ताक्षर कराए थे, परंतु उसे ठीक-ठीक स्मरण नहीं है। इस साक्षी ने यह भी कहा कि यह कहना गलत है कि राकेश उर्फ कोमल

उसके मकान में कभी किरायेदार नहीं रहा। यह कहना भी गलत है कि पुलिस ने जो बरामदगी दिखाई है, वह अवैध या झूठी बरामदगी है।

23. यह साक्षी एक महत्वपूर्ण साक्षी है, क्योंकि अभियोजन के अनुसार अभियुक्त का निवास इसी के मकान में बताया गया है। तथापि, न तो अभियुक्त इसके मकान से पकड़ा गया, न ही पुलिस द्वारा अभियुक्त की इस साक्षी से कोई विधिवत पहचान कराई गई और न ही अभियुक्त को कभी इस मकान में लाया गया। साक्षी ने यह भी कहा है कि जिस व्यक्ति को उसने किरायेदार के रूप में रखा था, उससे संबंधित कोई पहचान-पत्र, आधार-कार्ड या अन्य दस्तावेज उसने नहीं लिए थे और न ही कोई लिखित किरायानामा अथवा एग्रीमेंट बनाया गया था। साक्षी के अनुसार, पुलिस ने ही आकर उसे बताया था कि उसके मकान में रहने वाला व्यक्ति एक अपराधी है। इस प्रकार, पुलिस द्वारा यह जानने का कोई प्रयास नहीं किया गया कि क्या वास्तव में अभियुक्त राकेश उर्फ कोमल इस मकान में रहता था। यदि रहता था, तो उसकी पहचान किस आधार पर की गई। यह भी स्पष्ट नहीं किया गया कि पुलिस को ऐसा कौन-सा साक्ष्य प्राप्त हुआ जिससे यह विश्वास हुआ कि उक्त कमरा अभियुक्त का ही है तथा पी०डब्लू०-1 ने कहा है कि अभियुक्त परिवार सहित रहता था तो क्या उक्त तिथि को उसका परिवार था या नहीं था। उसका कोई साक्ष्य नहीं लिया गया जब तक यह साबित न हो जाए कि पीडब्ल्यू-1 के मकान के उक्त किराये के कमरे में वास्तव में अभियुक्त ही रहता था, तब तक उस कमरे से हुई कथित बरामदगी को अभियुक्त से जोड़ना विधिसम्मत नहीं माना जा सकता। विशेषतः तब, जबकि अभियुक्त का कथन है कि वह कभी महोबा में रहा ही नहीं। ऐसी स्थिति में किसी भी बरामदगी के मामले में पुलिस का यह दायित्व होता है कि वह यह स्पष्ट रूप से साबित करे कि जिस स्थान से बरामदगी दिखाई गई है, वह वास्तव में अभियुक्त के कब्जे अथवा उपयोग में था या सचेत कब्जे में था। परंतु वर्तमान प्रकरण में अभियुक्त को कभी भी इस मकान पर नहीं लाया गया, जैसा कि स्वयं पीडब्ल्यू-1 ने अपने बयान में कहा है।

24. अभियोजन की ओर से वादी मुकदमा धर्मराज यादव को पीडब्ल्यू-2 के रूप में परीक्षित कराया गया है। यह एक महत्वपूर्ण साक्षी है। इस साक्षी ने अपनी मुख्य परीक्षा में कहा है कि दिनांक 20.02.2014 को वह कोतवाली प्रभारी के पद पर तैनात था। उसी दिन रिपोर्ट संख्या-31, समय 10:20 बजे थाने से रवाना होकर वह मुकदमा अपराध संख्या 338/2014, धारा 364 आईपीसी की विवेचना में मामूर था। उसके साथ हमराह एसआई संगीता सिंह, कॉन्स्टेबल विजय यादव तथा कॉन्स्टेबल मुमताज़ अहमद भी थे। इस साक्षी के अनुसार उसे सूत्रों द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि राकेश सिंह, जिसका अपहरण होना बताया जा रहा है, उसकी पत्नी द्वारा अपहरण का मुकदमा पंजीकृत कराया गया है। उसका नाम राकेश उर्फ कोमल है और वह एक शातिर अपराधी है। उसकी पत्नी ने किसी मुकदमे से बचने के उद्देश्य से उक्त मुकदमा लिखाया

है। यह भी सूचना मिली कि वह प्रायः अवैध असलहा लेकर चलता है तथा उसके पास आपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्तियों का आना-जाना रहता है। यह भी बताया गया कि जिस कमरे को उसने किराये पर लिया हुआ है, वह दिनांक 18.02.2014 से बंद है, और यदि उस कमरे की शीघ्र तलाशी ली जाए तो अपहरण से संबंधित अवैध असलहा एवं महत्वपूर्ण वस्तुएँ उसके कमरे से बरामद हो सकती हैं। इस सूचना के आधार पर वह अपने हमराह पुलिसकर्मियों के साथ प्राइवेट बस स्टैंड, गाजीनगर मोहल्ला स्थित उस कमरे की तलाशी हेतु गया, जिसे राकेश द्वारा किराये पर लिया हुआ बताया गया था। रास्ते में मिले व्यक्तियों से गवाही के लिए कहा गया, किंतु कोई भी व्यक्ति गवाह बनने के लिए तैयार नहीं हुआ।

25. पीडब्ल्यू-2 के कथन से यह भी स्पष्ट होता है कि वह मुकदमा अपराध संख्या 338/2014, धारा 364 आईपीसी की विवेचना कर रहा था। परंतु, जैसा कि पीडब्ल्यू-2 ने कहा है कि अभियुक्त राकेश उर्फ कोमल की पत्नी द्वारा अपहरण का मुकदमा दर्ज कराया गया था , परन्तु उसके संबंध में पत्रावली पर कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। न ही यह स्पष्ट किया गया है कि जिस मुकदमे की विवेचना पीडब्ल्यू-2 कर रहा था, उसका अंतिम परिणाम क्या हुआ। इसके अतिरिक्त यह भी उल्लेखनीय है कि पीडब्ल्यू-2 ने अपने कथन में स्वयं ही यह कहा है कि अभियुक्त एक बड़ा अपराधी है तथा उसके किराये के कमरे पर जाने पर अवैध असलहा बरामद हो सकता है। इस प्रकार ऐसा प्रतीत होता है कि बिना किसी ठोस आधार के पहले से ही यह अनुमान बना लिया गया था कि उक्त कमरे से अवैध असलहा बरामद होगा। इससे यह भी प्रतीत होता है कि पीडब्ल्यू-2 व अन्य पूर्वाग्रह बनाकर ही उस कथित किराये के कमरे की तलाशी लेने गए थे। इस साक्षी ने आगे अपने मुख्य परीक्षा में कहा कि जब मकान मालकिन ज्ञानदेवी से राकेश उर्फ कोमल के संबंध में पूछा गया तो उसने बताया कि वह दो दिन से कमरे में ताला लगाकर कहीं चला गया है। इसके पश्चात मकान मालकिन से कमरे का ताला खुलवाया गया और कमरे की तलाशी ली गई। तलाशी के दौरान कमरे के गेट के कोने पर रखे बक्से के पीछे से एक पेप्सी की बोतल में काले रंग के रैक्सीन के थैले में रखा हुआ एक अदद देशी पिस्टल .32 बोर तथा सात कारतूस बरामद हुए। इसके अतिरिक्त बक्से के पीछे पॉलिथीन में दो देशी बम, जिन पर रबर चढ़ा हुआ था, तथा एक पॉलिथीन में लगभग 100 ग्राम बारूद, बम की सुतली तथा एक बम्ब टोपी बरामद हुई। वहीं एक माचिस में रखी हुई मोबाइल की 24 सिम भी बरामद हुईं। तलाशी के दौरान यह भी मालूम हुआ कि राकेश का पूरा नाम राकेश उर्फ कोमल, पुत्र रामसेवक, निवासी कस्बा व थाना इंदरगढ़, जनपद दतिया है। पी०डब्लू०-2 ने यह कहा कि दरवाज़ा मकान मालकिन से खुलवाया गया, जबकि मकान मालकिन पीडब्ल्यू-1 ज्ञानदेवी ने अपने बयान में कहा है कि कमरे का ताला पुलिस द्वारा तोड़ा गया था। इस प्रकार पीडब्ल्यू-1 और पीडब्ल्यू-2 के बयानों में इस महत्वपूर्ण तथ्य के संबंध में स्पष्ट विरोधाभास परिलक्षित होता

है।

26. अभियोजन साक्षी पीडब्ल्यू-2 ने आगे कहा कि उक्त सामान बरामद होने के पश्चात अभियुक्त के विरुद्ध धारा 25 आयुध अधिनियम तथा धारा 4/5 विस्फोटक पदार्थ अधिनियम का अपराध बनता है। उसने यह भी कहा कि बरामद समस्त सामान को सील-मुहर कर उसका नमूना तैयार किया गया। बरामद सिम को उसी माचिस में रखकर सील-मुहर किया गया तथा लगभग 100 ग्राम बारूद को अस्तर में रखकर सील-मुहर नमूना तैयार किया गया। फर्द बरामदगी एसआई संगीता सिंह द्वारा लिखी गई। इस साक्षी ने बरामद सामान के संबंध में बताया कि एक अदद पिस्टल .32 बोर, सात जिंदा कारतूस (जिनमें से पाँच कारतूसों में ताम्र की लीड लगी हुई थी), एक बम की टोपी तथा सुतली को एक कपड़े में रखकर सील-मुहर किया गया था तथा 24 सिम भी सील-मुहर की गई थीं। साक्षी ने कहा कि फर्द पर उसके हस्ताक्षर हैं। न्यायालय में धारा 25 आयुध अधिनियम से संबंधित मुकदमा अपराध संख्या 340/2014 का माल न्यायालय की अनुमति से खोला गया। उसमें से एक पिस्टल .32 बोर निकली, जिस पर गवाह ने कहा कि यही वही पिस्टल है जो अभियुक्त के कमरे से बरामद हुई थी, जिसे वस्तु प्रदर्श-1 के रूप में साबित किया । परंतु इसी साक्षी ने अपने आगे के कथन में कहा कि न्यायालय में जो माल पेश किया गया, उसमें से केवल एक पिस्टल .32 बोर ही निकली और कोई भी कारतूस नहीं निकला। जबकि स्वयं पीडब्ल्यू-2 ने अपनी बरामदगी फर्द में सात कारतूस बरामद होना बताया था। इस प्रकार यह एक महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि जब बरामदगी के अनुसार सात कारतूस सील-मुहर किए गए थे, तो न्यायालय में माल खोलने पर वे कारतूस कहाँ गए, इस संबंध में कोई स्पष्टिकरण नहीं दिया गया। इसी प्रकार, जो एक अन्य महत्वपूर्ण तथ्य जिसमें 24 सिम कार्ड बरामद होना बताई गई थी, उन्हें भी न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया गया, जबकि एक साथ 24 सिम का बरामद होना अपने आप में एक महत्वपूर्ण तथ्य है। इस संबंध में भी साक्षी द्वारा कोई स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः पीडब्ल्यू-2 के कथनों से यह स्पष्ट होता है कि बरामदगी के संबंध में न केवल महत्वपूर्ण विरोधाभास हैं, बल्कि बरामद वस्तुओं के न्यायालय में प्रस्तुत किए जाने के संबंध में भी गंभीर संदेह उत्पन्न होता है। इस साक्षी द्वारा उक्त बरामद 24 सिम का क्या किया कहॉ गायब कर दिया किसने गायब कर दिया, इस सम्बन्ध में कोई स्पष्टीकरण नहीं है। न ही कोई साक्ष्य प्रस्तुत किया गया है न ही यह जानने की कोशिश की गयी है कि उक्त सिम किसके नाम के थे। किस-किस से उन सिम में बात होती थी। विवेचक पी०डब्लू०-4 ने भी इस सम्बन्ध में कोई विवेचना नहीं की।

27. पीडब्ल्यू-2 ने अपनी जिरह (प्रतिरक्षा) में कहा है कि उसे सार्वजनिक व्यक्तियों से यह जानकारी मिली थी कि राकेश उर्फ कोमल ज्ञानदेवी के मकान में रहता है। उसने यह भी कहा कि ज्ञानदेवी के मकान के अगल-बगल किन व्यक्तियों के मकान हैं, यह उसे स्मरण नहीं है। जब वह ज्ञानदेवी के मकान पर पहुँचा तो वहाँ मकान मालकिन ज्ञानदेवी अपने परिवार के साथ

मौजूद थीं। ज्ञानदेवी द्वारा राकेश उर्फ कोमल को किराए पर रखने के संबंध में कोई लिखित एग्रीमेंट या दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया था और न ही दिखाया गया था। पीडब्ल्यू-2 के अनुसार राकेश उर्फ कोमल के कमरे में ताला लगा हुआ था, जिसे ज्ञानदेवी ने स्वयं खोल दिया था, जबकि पीडब्ल्यू-1 ज्ञानदेवी ने अपने बयान में कहा है कि कमरे का ताला पुलिस द्वारा तोड़ा गया था। इस प्रकार इस महत्वपूर्ण तथ्य के संबंध में पीडब्ल्यू-1 और पीडब्ल्यू-2 के बयानों में स्पष्ट विरोधाभास परिलक्षित होता है। पीडब्ल्यू-2 ने आगे कहा कि जब वे लोग कमरे के अंदर गए तो वहाँ से राकेश उर्फ कोमल का कोई पहचान पत्र, आधार कार्ड, राशन कार्ड या अन्य कोई दस्तावेज प्राप्त नहीं हुआ। इसके विपरीत, पीडब्ल्यू-1 ने अपने बयान में कहा है कि कमरे से उसका पहचान पत्र प्राप्त हुआ था। यदि ऐसा कोई पहचान पत्र मिला था तो वह कहाँ गया? इस संबंध में अभियोजन की ओर से कोई स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया गया है। पीडब्ल्यू-2 ने यह भी कहा कि केवल मकान मालकिन ज्ञानदेवी के कथन के आधार पर ही उसे यह जानकारी हुई कि वह कमरा राकेश उर्फ कोमल का है। उसने यह भी कहा कि आसपास के लोगों ने भी उस कमरे को राकेश का कमरा बताया था। कमरे की तलाशी में देशी पिस्तौल, बम, कारतूस, सिम कार्ड, पॉलिथीन में विस्फोटक पदार्थ तथा लगभग 100 ग्राम बारूद बरामद होना बताया गया था। परंतु आज न्यायालय के समक्ष केवल एक अदद पिस्टल ही प्रस्तुत की गई है और अन्य कोई सामान प्रस्तुत नहीं किया गया। इस प्रकार जो अन्य सामान बरामद होना बताया गया था, वह कहाँ गया, इस संबंध में भी कोई संतोषजनक स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है। पीडब्ल्यू-2 ने आगे कहा कि सिम कार्डों के संबंध में जांच कराना विवेचक का कार्य है , इस कारण उसने यह जांच नहीं कराई कि वे सिम कार्ड कोमल के थे या किसी अन्य व्यक्ति के। उसने यह भी कहा कि फर्द बरामदगी महिला एसआई संगीता सिंह से कहकर लिखवाई गई थी। उसने यह भी बताया कि थाने से वह स्वयं, संगीता सिंह तथा कॉन्स्टेबल मुमताज़ आदि मौके पर गए थे, परंतु उसे यह स्पष्ट रूप से याद नहीं है। इस साक्षी ने यह भी कहा कि फर्द बरामदगी पर ज्ञानदेवी के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति के हस्ताक्षर नहीं कराए गए थे। उसने यह भी स्वीकार किया कि उसने अभियुक्त राकेश उर्फ कोमल को कभी देखा तक नहीं था और केवल ज्ञानदेवी के बताने के आधार पर ही उसके विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत कराया गया था। उसने यह भी कहा कि कमरे की सम्पूर्ण तलाशी लेने के बाद भी राकेश उर्फ कोमल से संबंधित कोई दस्तावेज या कागज़ात उन्हें प्राप्त नहीं हुए थे।

28. यह भी उल्लेखनीय है कि पीडब्ल्यू-2 स्वयं बादी मुकदमा है और उसी ने अपने सहकर्मी पुलिसकर्मियों के साथ उक्त कमरे की तलाशी ली थी। इसके बावजूद उसने यह स्वीकार किया कि केवल मकान मालकिन के कथन के आधार पर ही उसने यह मान लिया कि वह कमरा राकेश उर्फ कोमल का है। उसने यह जानने का प्रयास भी नहीं किया कि मकान मालकिन किस

आधार पर यह कह रही थीं कि वह कमरा राकेश का है। यदि मान भी लिया जाए कि मकान मालकिन ने यह कहा था कि वह कमरा अभियुक्त का है, तो अभियुक्त को गिरफ्तार करने के पश्चात, अथवा जैसा कि साक्ष्य में आया है कि वह उस समय जेल में था, पुलिस को जेल जाकर उसे रिमांड पर लेकर पूछताछ करनी चाहिए थी। इसके अतिरिक्त मौके पर लाकर उससे उस कमरे की पहचान भी कराई जानी चाहिए थी कि वास्तव में वह कमरा उसी का है या नहीं। साथ ही मकान मालकिन के समक्ष भी अभियुक्त की पहचान कराना आवश्यक था, ताकि यह स्पष्ट हो सके कि राकेश उर्फ कोमल वही व्यक्ति है या कोई अन्य। किन्तु इस प्रकार की कोई कार्यवाही पुलिस द्वारा नहीं की गई। इस प्रकार की परिस्थितियाँ जांच में गंभीर लापरवाही को दर्शाती हैं और इससे अभियोजन की कहानी की विश्वसनीयता पर भी संदेह उत्पन्न होता है।

29. इस प्रकरण में पी०डब्लू०-4 के रूप में विवेचक एम०ए०खान को परीक्षित कराया गया है पीडब्ल्यू-4, जो कि विवेचक है, ने अपने मुख्य परीक्षा में आरोप-पत्र प्रदर्श क-3, नक्शा नजरी मुकदमा अपराध संख्या 339/14 प्रदर्श क-4, नक्शा नज़री मुकदमा अपराध संख्या 340/14 प्रदर्श क-5, विधि विज्ञान प्रयोगशाला रिपोर्ट प्रदर्श क-6, अभियोजन स्वीकृतियाँ प्रदर्श क-7 व प्रदर्श क-8 तथा आरोपित मुकदमा अपराध संख्या 339/14 प्रदर्श क-9 को साबित किया है। परंतु सिम के संबंध में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है। पीडब्ल्यू-4 ने जिला मजिस्ट्रेट वीरेश्वर सिंह द्वारा प्रदत्त अभियोजन स्वीकृति को प्रदर्श क-7 व प्रदर्श क-8 के रूप में साक्ष्य में साबित किया है। बचाव पक्ष की ओर से यह कहा गया कि विवेचक द्वारा जिला मजिस्ट्रेट से धोखा देकर अभियोजन स्वीकृति प्राप्त की गई है, क्योंकि दोनों अभियोजन स्वीकृतियों में मुकदमा अपराध संख्या 339/14 व मुकदमा अपराध संख्या 340/14 के संबंध में यह अंकित किया गया है कि कथित विस्फोटक व पिस्तौल अभियुक्त के कब्जे से प्राप्त किए गए हैं। अभियोजन स्वीकृति में कहीं भी यह नहीं लिखा गया है कि उक्त वस्तुएँ मुल्जिम के किराए के कमरे से बरामद की गई थीं। यदि विवेचक द्वारा ऐसा तथ्य बताया जाता तो जिला मजिस्ट्रेट द्वारा उसकी जांच करने के उपरांत ही अभियोजन स्वीकृति प्रदान की जाती। परंतु अभियोजन स्वीकृति में केवल यह उल्लेख किया गया है कि मुल्जिम उपरोक्त के कब्जे से दो अदद देसी बम, जिनके ऊपर रबर चढ़ी है, एक पॉलीथिन में लगभग सौ ग्राम बारूद, व बम की सुतली, बम की टोपी, बारूद के टुकड़े आदि नाजायज रूप से बिना लाइसेंस के बरामद हुए हैं। इसी प्रकार की पंक्ति मुकदमा अपराध संख्या 340/14 की अभियोजन स्वीकृति में भी लिखी गई है कि मुल्जिम उपरोक्त के कब्जे से उक्त सामग्री बरामद हुई। इससे स्पष्ट है कि अभियोजन स्वीकृति विधि अनुसार नहीं दी गई है तथा जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष वास्तविक तथ्य प्रस्तुत नहीं किए गए। यदि वास्तविक तथ्य प्रस्तुत किए जाते तो संभवतः अभियोजन स्वीकृति प्राप्त नहीं होती। इसके अतिरिक्त इस साक्षी ने अपने जिरह में कहा है कि जब वह घटनास्थल का मुआयना करने गया था, तब उसे उस मकान में रहने के संबंध में राकेश उर्फ कोमल के नाम-पते के संबंध में कोई कागजात प्राप्त नहीं हुए थे। वादी मुकदमा व मकान मालिक के बताने पर ही उसने राकेश उर्फ कोमल के वहां रहने की बात मानी थी। मकान मालिक के अतिरिक्त किसी भी स्वतंत्र साक्षी ने उसके वहां रहने की पुष्टि नहीं की थी। मकान मालिक ने भी कोमल के रहने का कोई प्रमाणपत्र

अथवा अन्य दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया था। पी०डब्लू०-1 ज्ञानदेवी के मकान के आसपास बने अन्य मकान मालिकों के बयान भी उसने दर्ज नहीं किए थे। इस साक्षी ने यह भी कहा कि उसको प्रभारी निरीक्षक ने उच्चाधिकारी को यह बताया था कि कोमल गिरफ्तार हो चुका है तथा आरोप पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात उसे महोबा बुलाया गया था। उसने कोमल के किस तारीख से जेल में रहने के संबंध में कोई प्रमाणपत्र प्राप्त नहीं किया था। पूर्ण विवेचना के पश्चात उसने राकेश को तलब कर उसका बयान लिया और आरोप-पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। इस साक्षी ने आगे यह भी कहा कि संपूर्ण विवेचना के दौरान उसे कोमल के उक्त मकान में किराए पर रहने तथा अवैध बरामदगी होने के संबंध में कोई भी दस्तावेजी साक्ष्य या प्रमाण प्राप्त नहीं हुआ। उसे मकान मालिक ज्ञानदेवी व वादी मुकदमा के आपसी संबंधों के बारे में जानकारी थी और उसने इस संबंध में जानकारी प्राप्त की थी। इस साक्षी ने यह भी स्वीकार किया कि विवेचना के दौरान उसने मकान मालिक ज्ञानदेवी से अभियुक्त की कोई शिनाख्त नहीं कराई थी तथा इस संबंध में भी कोई स्वतंत्र साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। इसके अतिरिक्त चौबीस सिम बरामद होने के संबंध में, उनकी प्रमाणिकता तथा उनकी जांच के संबंध में भी कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। परन्तु इसने 24_सिम के सम्बन्ध में कोई विवेचना नहीं की। चौबीस सिम कार्ड का किसी स्थान से बरामद होना अपने आप में अत्यंत महत्वपूर्ण और गंभीर तथ्य है। सामान्य परिस्थितियों में इतनी संख्या में सिम कार्ड का एक साथ पाया जाना किसी संगठित आपराधिक गतिविधि की ओर संकेत कर सकता है। ऐसी स्थिति में पुलिस से यह अपेक्षा की जाती है कि वह बरामद सिम कार्डों के संबंध में विस्तृत जांच करे, जैसे कि वे सिम कार्ड किसके नाम से जारी हुए थे, वे सक्रिय थे या नहीं, उनका उपयोग किन-किन व्यक्तियों से बातचीत के लिए किया जा रहा था, तथा उनका प्रयोग किस उद्देश्य से किया जा रहा था। यदि वे सक्रिय पाए जाते तो उनके सीडीआर (Call Detail Record) निकलवाकर यह भी पता लगाया जा सकता था कि उन सिमों के माध्यम से किन-किन स्थानों और व्यक्तियों से संपर्क किया गया था तथा कहीं किसी बड़े आपराधिक गिरोह या सिंडिकेट का संचालन तो नहीं किया जा रहा था। किन्तु इस प्रकरण में ऐसा प्रतीत होता है कि पुलिस द्वारा इस दिशा में कोई प्रभावी जांच नहीं की गई। न तो इन सिम कार्डों के स्वामित्व का पता लगाया गया, न ही उनका सीडीआर निकलवाया गया, और न ही यह स्पष्ट किया गया कि वे किस प्रयोजन से रखे गए थे। इसके अतिरिक्त, जो सिम कार्ड बरामद होना बताए गए थे, उन्हें न्यायालय में भी प्रस्तुत नहीं किया गया। इस प्रकार एक महत्वपूर्ण साक्ष्य, जिससे संभवतः किसी बड़े अपराध या आपराधिक तंत्र का खुलासा हो सकता था, उसके संबंध में न तो समुचित जांच की गई और न ही उसे विधिवत न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। इस प्रकार की स्थिति से जांच की निष्पक्षता और गंभीरता पर प्रश्नचिह्न उत्पन्न होता है। यदि वास्तव में किसी अभियुक्त के निवास या किराये के कमरे पर छापेमारी की गई थी, तो वहां से बरामद प्रत्येक वस्तु का विधिवत बरामदगी मेमो (फर्द) बनाकर सुरक्षित रखा जाना तथा उसे न्यायालय में प्रस्तुत किया जाना आवश्यक था। साथ ही, बरामद

सिम कार्डों की तकनीकी जांच कराकर उनके उपयोग का पूरा विवरण एकत्र किया जाना भी आवश्यक था। ऐसा न किया जाना जांच में गंभीर कमी या लापरवाही को प्रदर्शित करता है, जिससे यह भी संदेह उत्पन्न होता है कि इस महत्वपूर्ण साक्ष्य के संबंध में पुलिस द्वारा आवश्यक सतर्कता और पारदर्शिता नहीं बरती गई।

30. अतः पत्रावली पर उपलब्ध समस्त साक्ष्यों के परीक्षण एवं गवाहों के कथनों के सम्यक् मूल्यांकन से यह स्पष्ट है कि अभियोजन द्वारा उक्त किराये के कमरे से मात्र पिस्टल व दो देशी सुतली बम की बरामदगी के सम्बन्ध में साक्ष्य प्रस्तुत किया गया है, परन्तु सात कारतूस व 24 सिम की बरामदगी साबित नहीं है। इस प्रकार बरामदी संदेह से परे साबित नहीं है। इसके अतिरिक्त अभियोजन यह साबित नहीं कर सका है कि पी०डब्लू० -1 के मकान के कमर में अभियुक्त रहता था। इस प्रकार अवधार्य बिन्दु संख्या-1 व 2 तद्नुसार निस्तारित किये जाते हैं।

<u>अवधार्य बिन्दु संख्या-3</u>

31. अवधार्य बिन्दु संख्या-3 इस आशय का विरचित किया गया है कि क्या कथित किराये के कमरे से देशी पिस्टल कारतूस, देशी बम बारूद एवं अन्य विस्फोटक पदार्थ की बरामदगी अभियुक्त राकेश उर्फ कोमल के सचेत कब्जे (Conscious Possession)से साबित की गयी है ?

32. जैसा कि यह स्पष्ट है कि अभियोजन पी०डब्लू०-1 ज्ञान देवी के मकान के कमरे में ही अभियुक्त रहता था, साबित करने में असफल रहा है। अभियोजन के अनुसार कथित हथियारों की बरामदगी एक किराए के मकान से दर्शाई गई है, परंतु अभियुक्त की उक्त मकान में वास्तविक निवास अथवा उसके कब्जे को साबित करने हेतु कोई ठोस, विश्वसनीय एवं स्वतंत्र साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। न तो पुलिस गवाहों द्वारा अभियुक्त की विधिवत पहचान की गई है और न ही मकान मालकिन का कथन किसी दस्तावेजी साक्ष्य या स्वतंत्र साक्ष्य से पुष्ट है। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा **Gunwantlal v. State of Madhya Pradesh, (1972) 2 SCC 194 : AIR 1972 SC 1756,** में यह प्रतिपादित किया गया है कि "possession" का अभिप्राय केवल भौतिक कब्जा नहीं बल्कि सचेत (conscious) एवं नियंत्रणयुक्त कब्जा होना चाहिए। इसी प्रकार **Avtar Singh v. State of Punjab, (2002) 7 SCC 419** में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि अभियोजन को यह साबित करना अनिवार्य है कि अभियुक्त का उक्त वस्तु पर conscious possession, अर्थात ज्ञान एवं नियंत्रण सहित कब्जा, था। **Megh Singh v. State of Punjab, (2003) 8 SCC 666 : AIR 2003 SC 3184** में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह प्रतिपादित किया है कि केवल बरामदगी, जब तक कि उसका स्पष्ट एवं ठोस संबंध अभियुक्त से स्थापित न हो, दोषसिद्धि का आधार नहीं बन सकती। इसी प्रकार **State of Rajasthan v. Teja Ram, (1999) 3 SCC 507** में यह कहा गया है कि

बरामदगी का साक्ष्य तभी स्वीकार्य है जब वह विश्वसनीय हो तथा अभियुक्त से उसका स्पष्ट संबंध स्थापित किया गया हो। वर्तमान प्रकरण में अभियोजन द्वारा न तो अभियुक्त की पहचान साबित की गई है और न ही उसके द्वारा अभियुक्त का कथित स्थान पर सचेत कब्जा स्थापित किया गया है। अतः बरामदगी का अभियुक्त से संबंध संदेहास्पद प्रतीत होता है।

33. यह भी उल्लेखनीय है कि अभियुक्त के विरूद्ध जो आरोप विरचित किया गया है उसमें पुलिस द्वारा गिरफ्तार होना कहा गया है, जबकि अभियुक्त बरामदशुदा सामान के साथ गिरफ्तार नहीं हुआ था। अभियुक्त के कब्जे से न तो कथित दो देशी बम बरामद होना साबित है और न ही पिस्टल व कारतूस बरामद होना साबित है। आपराधिक न्यायशास्त्र के स्थापित सिद्धांतों के अनुसार, जब अभियोजन साक्ष्य संदेह से परे अपराध साबित करने में असफल रहता है, तब संदेह का लाभ अभियुक्त को दिया जाना अनिवार्य होता है। इस प्रकार अभियुक्त राकेश उर्फ कोमल के कब्जे से कोई भी बरामदगी साबित नहीं है। अतः अवधार्य बिन्दु संख्या-3 तद्नुसार निस्तारित किया जाता है।

34. उपर्युक्त समस्त तथ्यों, साक्ष्यों एवं माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रतिपादित विधि सिद्धांतों के आलोक में यह स्पष्ट है कि अभियोजन कथित बरामदगी को अभियुक्त से विश्वसनीय एवं निर्विवाद रूप से जोड़ने में असफल रहा है। अभियुक्त की कथित स्थान पर उपस्थिति अथवा उसके द्वारा उस स्थान पर किसी प्रकार का सचेत कब्जा (conscious possession) स्थापित करने हेतु कोई ठोस एवं स्वतंत्र साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में अभियोजन की कहानी संदेह से परे साबित नहीं होती। आपराधिक न्यायशास्त्र के स्थापित सिद्धांतों के अनुसार अभियोजन को अपना मामला संदेह से परे सिद्ध करना होता है, और यदि साक्ष्यों में संदेह की गुंजाइश शेष रहती है तो उसका लाभ अभियुक्त को दिया जाना अनिवार्य होता है। फलस्वरूप यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि अभियोजन अभियुक्त के विरुद्ध आरोपों को संदेह से परे साबित करने में असफल रहा है।

35. उपरोक्त तथ्यों व परिस्थितियों में व सम्पूर्ण विश्लेषण से स्पष्ट है कि अभियोजन पक्ष अभियुक्त राकेश उर्फ कोमल के विरूद्ध अपराध अन्तर्गत धारा–4/5 विस्फोटक पदार्थ अधिनियम तथा धारा 25 आयुध अधिनियम के अपराध को युक्तियुक्त रूप से संदेह से परे साबित करने में पूर्णतया असफल रहा है। अतः अभियुक्त राकेश उर्फ कोमल को धारा 4/5 विस्फोटक पदार्थ अधिनियम तथा धारा 25 आयुध अधिनियम के अपराध में संदेह का लाभ देते हुये दोषमुक्त किये जाने योग्य है।

आदेश

36. विशेष वाद संख्या 01/2017 सरकार बनाम राकेश उर्फ कोमल में अभियुक्त राकेश उर्फ कोमल को धारा 4/5 विस्फोटक पदार्थ अधिनियम के अपराध में दोषमुक्त किया जाता है।

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/एफ०टी०सी० (सी०ए०डब्लू०)महोबा

इसी प्रकार सत्र परीक्षण संख्या 10/2017 सरकार बनाम राकेश उर्फ कोमल को धारा 25 आयुध अधिनियम के अपराध में दोषमुक्त किया जाता है।

37. अभियुक्त जमानत पर हैं। उसके जमानतनामें निरस्त करते हुये उनके प्रतिभुओं को उनके दायित्व से उन्मोचित किया जाता है।

38. अभियुक्त को निर्देशित किया जाता है कि वह एक सप्ताह के अन्दर धारा 437ए०दं०प्र०सं० के अन्तर्गत बीस हजार रूपये की एक–एक जमानतें व इसी धनराशि का निजी मुचलका प्रत्येक मामले में दाखिल करें

39. इस निर्णय की एक प्रति सत्र परीक्षण संख्या 10/2017 की पत्रावली में रखी जाये।

दिनांकः03.04.2026 **(तेन्द्र पाल)**

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/एफ०टी०सी०,
(सी०ए०डब्लू०), महोबा।
UP- 1719

निर्णयादेश आज खुले न्यायालय में मेरे द्वारा हस्ताक्षरित व दिनांकित कर उदघोषित किया गया।

दिनांकः03.04.2026 **(तेन्द्र पाल)**

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/एफ०टी०सी०,
(सी०ए०डब्लू०), महोबा।
UP- 1719

Digitally signed by TENDRA PAL
Date: 2026.04.04 13:54:07 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court